CIN:U40109RJ2000SGC016486

"प्रभास्मि शशी सूर्ययोः"

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,

पंजीकृत कार्यालयः विद्युत भवन, ज्योति नगर, जयपुर-302005
दूरभाषः 0141-2743794 फैक्सः 0141-2740534
वेबसाईटः jaipurdiscom.com/Email: jaipurdiscom@yahoo.com
Email: asrecttjvvnl@gmail.com

क्रमांक/जेपीडी/प्रशा./भर्ती/प.Imp.Order/प्रे. 352 दिनांक 15/6/2018

आदेश

विभिन्न कार्यालयों से अनुकम्पात्मक आधार पर प्राप्त होने वाले नियुक्ति प्रकरणों का अवलोकन करने पर प्रायः यह पाया गया है कि मृतक की आश्रित विधवा द्वारा अपनी अवयस्क संतान को नियुक्ति हेतु नामित कर दिया जाता है, जबकि निगम द्वारा जारी आदेश संख्या JPD/CAO/IA/AO/ Rules/F.17/D.1271 दिनांक 19.07.2016 (नियम संख्या 1041) के अनुसार अवयस्क संतान को नामित करने का कोई प्रावधान नहीं है, जिसके कारण प्रकरण अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु अनुपयुक्त होने के कारण लौटा दिया जाता है। संबंधित वृत्त कार्यालयों द्वारा नियमों की अनुपालना में प्रकरण प्रेषित नहीं किये जाने के कारण मुख्यालय स्तर पर अनावश्यक पत्राचार करना पड़ता है।

प्रचलित नियमों के अनुसार यदि मृतक कर्मचारी की आश्रिता विधवा स्वयं अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु इच्छुक है या अपनी वयस्क आश्रित संतान को अनुकम्पा नियुक्ति हेतु नामित करना चाहती है, तो कर्मचारी की मृत्यु दिनांक से 90 दिवस की अवधि में संबंधित अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य है। उपरोक्त नियम 19.07.2016 के विपरीत अन्य योग्य अभ्यर्थी के बावजूद अवयस्क आश्रित का प्रकरण स्वयं के कार्यालय में लंबित रखना एवं वृत्त कार्यालय के माध्यम से मुख्यालय को प्रेषित करना नियम की स्पष्ट अवहेलना है।

अतः भविष्य में संबंधित नियंत्रक अधिकारी अनुकम्पा आधार पर प्राप्त विधि सम्मत प्रकरणों को ही नियमानुसार कार्यवाही कर इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार।

सचिव(प्रशासन)